उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(विकास शाखा)

पत्रांक–   /

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
भा.प्र.से.
उपायुक्त, लातेहार।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, रॉंची।

लातेहार, दिनांक   अगस्त, 2006

विषयः–   विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेतला टूरिस्ट प्लाजा परिसर में साज–सज्जा एवं फर्नीशिंग से संबंधित दैनिक अखबार, *हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर* में विज्ञापन प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति का नमूना मूल में फलॉपी सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अविलम्ब प्रकाशित कराने की कृपा किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वास भाजन

उपायुक्त, लातेहार।

समाहरणालय, लातेहार
(विकास शाखा)
निविदा आमंत्रण सूचना

नव निर्मित टूरिस्ट प्लाजा, बेतला जिला लातेहार के साज–सज्जा एवं फर्नीशिंग हेतु निम्नलिखित सामग्री/उपस्कर/उपकरण क्रय करने हेतु निविदा 12.09.2006 पूर्वाहन 12.00 बजे तक उप विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा में आमंत्रित की जाती है।

सामग्री का नाम	मात्रा
1. डायनींग टेबल (टीक वुड)	
क) 6 कुर्सी एवं एक टेबल	3 सेट
ख) 8 कुर्सी एवं एक टेबल	2 सेट
2. सोफा सेट (टीक वुड/बेंत) कुशन सहिंत	3 सेट
3. कारपेट	आवश्यकतानुसार
4. पर्दा	आवश्यकतानुसार
5. फाईवर कुर्सी (आई.एस.आई)/बेंत कुर्सी	30 पीस
6. कॉकरी एवं बर्तन	आवश्यकतानुसार
7. टूरिस्ट प्लाजा संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री	आवश्यकतानुसार
8. जनरेटर 30 (के.भी.ए.) किर्लोस्कर (ध्वनि रहित) Air Cooled	1 सेट
9. 1.5" GI Pipe पर बना हुआ रेडियम सूचना पट्ट (Size 6'x 4' & 3'x 2')	30 न0

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा उप विकास आयुक्त के पद नाम से होगी।
2. निविदाकर्ता को अद्‌यतन बिक्री कर एवं आयकर का भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा।
3. दरों में परिवहन, स्थापना एवं सभी कर सम्मिलित होगा।
4. निविदा के साथ 15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, लातेहार के पक्ष में अग्रधन/जमानत राशि के रूप में देना होगा।
5. निविदा में अंकित सभी सामग्री/उपस्कर/उपकरण गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिए। आपूर्ति किए गए सभी सामान गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कारवाई की जाएगी तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. निविदा दिनांक 12.09.2006 को जिला कय समिति के समक्ष 01 बजे अपराह्न उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।
7. निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं या उनके प्रतिनिधि आवश्यक नमूना के साथ उपस्थित रहेंगे। नमूना नहीं रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द/अस्वीकृत करने तथा निविदाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
9. सामग्री की आपूर्ति आपूर्ति–आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर करना अनिवार्य होगा। आदेशित सामाग्री के विरूद्ध किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
10. निविदा से संबंधित जानकारी विकास शाखा से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

उपायुक्त, लातेहार।